UPSR010010842026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, श्रावस्ती

पीठासीन अधिकारी– दिनेश चन्द (उच्चतर न्यायिक सेवा ID UP06538)

जमानत आवेदन सं०–418/2026

आशीष पासवान उर्फ **ननका** उम्र करीब 30 वर्ष पुत्र शत्रोहन पासवान,
निवासी नई बस्ती शुक्ल पुरवा, थाना–रामपुर मथुरा, जिला सीतापुर।

............आवेदक/अभियुक्त

प्रति

राज्य उ०प्र० **..............अभियोगी**

अ० सं०–21/2026
धारा– 331(4),305(ए),317(2)
बी०एन०एस० 2023
थाना–इकौना, जिला–श्रावस्ती।

दिनांक 01.06.2026

निस्तारण जमानत आवेदन

1– प्रस्तुत जमानत आवेदन आवेदक/अभियुक्त **आशीष पासवान** उर्फ **ननका** की ओर से अपराध संख्या 21/2026, धारा–317(2), 331(4), 305(ए) बी०एन०एस० 2023, थाना इकौना, जिला श्रावस्ती के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा तेज प्रताप सिंह पुत्र बच्चू लाल सिंह निवासी भयापुर, दा० लालपुर खदरा, इकौना, जनपद श्रावस्ती, ने प्रभारी निरीक्षक थाना इकौना जनपद श्रावस्ती को दिनांक 02.02.2026 को समय 15.22 बजे इस आशय की तहरीर दिया कि दिनांक 02.02.2026 की रात करीब 02.00 बजे वह अपने कमरे में सो रहा था तभी अज्ञात व्यक्ति दीवार के सहारे छत पर गए और जीना से उतरकर दरवाजा खोल दिए और बगल के कमरे का दरवाजा खोलकर अन्दर घुस गए कमरे में रखा ट्राली बैग ले गए जिसमें 20 हजार रुपये नगदी, एक हार सोने का, तीन जोड़ी कान का सेट, पांच सोने की अंगूठी, तीन जोड़ी चांदी का पायल, एक मंगलसूत्र सोने का, दो चेन सोने का रखा हुआ था व तीन बक्सा घर से 200 मी० की दूरी पर बाग में टूटा पड़ा मिला जिसमें कपड़े रखे हुए थे, जो कपकड़ा मिल गया है। सुबह 04.30 बजे जब वह सोकर उठा तब घटना की जानकारी हुई। सूचना को आया है। अतः आवश्यक कार्यवाही करने की याचना की गयी। उक्त तहरीर के आधार पर अज्ञात के विरूद्ध धारा 331(4) व 305(ए) भा०न०सं० में प्रथम सूचना रिपोर्ट

Digitally signed by DINESH CHAND
Date: 2026.06.01 17:05:36 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

पंजीकृत हुई।

3– आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्को को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

4– आवेदक/अभियुक्त द्वारा जमानत आवेदन के समर्थन में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन का सम्पूर्ण कथानक असत्य एवं निराधार है। आवेदक/अभियुक्त ने कोई भी घटना कारित नहीं किया है। आवेदक/अभियुक्त की प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार कोई भी भूमिका नहीं है। आवेदक/अभियुक्त जालंधर पंजाब में ज्योति चौक हनुमान मंदिर के पास मेडिकल स्टोर पर काम करता था और परिवार सहित कमरा लेकर रहता भी था। सहअभियुक्त के बताने पर पुलिस दिनांक 08.05.2026 को पंजाब से उठा लाए हैं और अज्ञात मुकदमों में फर्जी संलिप्तता दिखाकर दिनांक 12.05.2026 को जेल भेज दिया है। पुलिस द्वारा अज्ञात में लिखे गए 05 मुकदमें में एक ही दिन में जेल भेज दिया है। इन मुकमदों के अलावा यदि अभियुक्त का आपराधिक इतिहास है तो उसका विचारण चल रहा है और किसी भी मुकदमें में सजा नहीं हुई है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 12.05.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है। आवेदक/अभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकार किये जाने की याचना है।

5– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। विवेचक द्वारा आवेदक/अभियुक्त का पूर्व का आपराधिक इतिहास प्रस्तुत किया गया है। आवेदक/अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किये जाने की याचना है।

6– मुकदमा अपराध संख्या 21/2026, थाना इकौना, जनपद श्रावस्ती से सम्बन्धित केस डायरी तथा उसके साथ उपलब्ध सुसंगत अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया। आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं है। दौरान विवेचना आवेदक/अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया है। आवेदक/अभियुक्त की ओर से उक्त घटना में संलिप्तता से इंकार करते हुए इस आशय का तर्क प्रस्तुत किया गया है कि दौरान घटना वह जालंधर पंजाब में ज्योति चौक हनुमान मंदिर के पास मेडिकल स्टोर पर काम करता था और परिवार सहित कमरा लेकर रहता भी था तथा उसे इस मामले में फर्जी तरीके से जेल भेज दिया गया है। आवेदक/अभियुक्त का आपराधिक इतिहास विवेचक द्वारा प्रस्तुत किया गया है परन्तु किसी मामले में न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध कर दण्डित किये जाने की कोई आख्या प्राप्त नहीं हुई है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 12.05.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा मामले के गुणदोष पर कोई अन्तिम राय प्रकट न करते हुए, इस न्यायालय की राय में आवेदक/अभियुक्त आशीष पासवान उर्फ ननका का जमानत आवेदन सशर्त स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त **आशीष पासवान** उर्फ **ननका** का जमानत आवेदन निम्न शर्तो के साथ स्वीकार किया जाता हैः–

I– यह कि आवेदक/अभियुक्त अति विशिष्ट परिस्थितियों को छोड़कर प्रत्येक तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित रहेगा।

II– यह कि आरोप निर्धारण, साक्षी के उपस्थित होने पर तथा धारा 351 बी०एन०एस०एस० के अन्तर्गत बयान हेतु नियत तिथियों पर आवेदक/अभियुक्त की ओर से कोई स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।

III– यह कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा अभियोजन साक्षी/अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित करने का प्रयास नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त शर्तो के उल्लंघन किये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा आवेदक/अभियुक्त की जमानत निरस्त की जा सकेगी।

उपरोक्त शर्तो के अनुपालन में अण्डरटेकिंग तथा पचास हजार रूपये की दो जमानतें व समान धनराशि का निजी बंधपत्र सम्बन्धित विद्वान मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर प्रस्तुत करने पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाये।

(दिनेश चन्द)
सत्र न्यायाधीश
श्रावस्ती

दिनांक 01.06.2026